

11/8

पत्रावली पेश हुई वकील वादी  
उपस्थित जवाब लीका उपस्थित  
नसीब लखर की ओर से जवाब लीका  
लेखे नसीब जरी की पत्रावली  
दिनांक 11/5/18 को पेश की

11/8

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी  
उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य  
में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं  
हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----  
15/4/18 को  
पेश हो

15/4/18

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी  
उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य  
में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं  
हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----  
4/5/18 को  
पेश हो पुनश्च पत्रावली दि. 7/5/18 को  
केम्प ऑरिंग में पेश हो।

7/5/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प ऑरिंग में पेश हुई।  
प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश  
हुआ जो शांति में दिया गया। पेंसेकार सरकार  
को मामले आम में सुना गया। पेंसेकार  
सरकार ने कथन किये कि वादपत्र में वांछित  
निरलीफ वादी को दिया जाना उचित नहीं  
है। क्योंकि विवादित आराजीमवादी के  
पिता का नाम आवदन के समय से ही  
शंकरलाल दर्ज है। उक्त भूमि कांक्टिल  
भूमि है तथा आवदन आदेश के मुताबिक

ऑकल है। वादी उर एरिशंर क कोर  
पद्यन क दल्लोवज भी प्रस्तुत नही  
रिखा है, जिससे प्रमाणित हो कि वादी  
के फिल क नाम एरिशंर हो। वादी  
उर एरिशंर के रूप में मात्र अपने  
पद्यन के दल्लोवज प्रस्तुत किये हैं,  
जबकि वादी को अपने फिल से सम्बन्धित  
साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।  
अतः वाद वादी खारिज किया जावे।  
मजमे काम में फेरोकल सरकार के कथनों  
पर मनन किया तथा दल्लोवजी साक्ष्य का  
प्रमाण के सम्बन्ध में विधिक विचारण  
करने के उपरान्त हम यह पाते हैं कि  
फेरोकल सरकार उर प्रस्तुत जवाब एवं  
कथनों को उचित पाते हैं। अतः वाद  
वादी खारिज किया जाता है। अनुहार  
डिग्री जारी हो। निर्णय मजमे काम में  
मेरे उज्जवास सुनाया गया। पत्रावली कंसल  
शुमार होकर डाखिल दफतर हो।